न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – श्री विनोद कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 50/2016

दायर तारीख : 21/07/2016
निर्णय दिनांक 25/05/2017
न्याय आपके द्वार केम्प : सकलाल

श्री मगन लाल पिता रतना
जाति भील निवासी सकलाल

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार खेरवाडा

धारा 88 एवं इन्द्राज दुरस्ती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा संपठित धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956

उपस्थित :
वादी की ओर से : मगनलाल
प्रतिवादी की ओर से : तहसीलदार खेरवाडा

–:: निर्णय ::–

वादी मगनलाल पिता रतना भील निवासी सकलाल तहसील खेरवाडा की ओर से दिनांक 21/07/2016 को यह वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं इन्द्राज दुरस्ती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा संपठित धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत किया।

वाद पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 के खाता संख्या 201/193 में संयुक्त काश्तकार हांजा, जीवा, मेगा पिता रतना भील के बजाय राजस्व रिकार्ड में संयुक्त काश्तकार हांजा जीवा मगनलाल पिता रतना भील निवासी सकलाल करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

आज आयोजित राजस्व लोक अदालत अभियान 2017 में वादी की मौजूदगी में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद से सम्बधित दस्तावेज यथा वादी का आधार कार्ड, सरंपच ग्राम पंचायत सकलाल द्वारा प्रमाणीकरण, संयुक्त खातेदार हांजा व जीवा पिता रतना भील का बयान, पटवारी हल्का सकलाल की रिपोर्ट एवं तहसीलदार खेरवाडा की रिपोर्ट में मेगा के बजाय मगनलाल किये जाने की अनुषंशा पेश की गई।

उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वर्णित जमाबन्दी सम्वत 2068–71 में संयुक्त खातेदार हांजा जीवा मेघा पिता रतना भील के बजाय हांजा जीवा मगनलाल पिता रतना भील निवासी सकलाल की रिकार्ड शुद्धि कर अमल दरामद की कार्यवाही हेतु तहसीलदार खेरवाडा को आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 25/05/2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017 केम्प सकलाल में सरे इजला सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो नम्बर से कम हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खेरवाड़ा (जिला-उदयपुर (राज.)

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा

उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)